भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **101**
गुरुवार, 02 फरवरी, 2023/ 13 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

101. श्री पिनाकी मिश्रा:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन हवाई अड्डों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ओडिशा राज्य में स्थापित किए जा रहे प्रत्येक हवाई अड्डे के संबंध में इसमें शामिल व्यय का ब्यौरा क्या है और इसे किस तरीके से पूरा किया जाएगा?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) से (ग): भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है, जो देशभर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली का प्रावधान करती है। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति के तहत, परियोजना प्रस्तावक अर्थात हवाईअड्डा विकासकर्ता या संबंधित राज्य सरकार, जो ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा स्थापित करने के इच्छुक हैं, द्वारा, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को 2-चरणीय अनुमोदन प्रक्रिया अर्थात 'साइट क्लीयरेंस' और तत्पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भेजा अपेक्षित होता है। वर्तमान में, नागर विमानन मंत्रालय को पुरी में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए ओडिशा राज्य सरकार से 'साइट क्लीयरेंस' अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ): जीएफए नीति के अनुसार, परियोजनाओं के वित्त पोषण सहित, हवाईअड्डा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व, संबंधित राज्य सरकार (यदि राज्य सरकार परियोजना प्रस्तावक है) सहित संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता का होता है ।

*****